

प्रेषक,

NOC-1180/15-2-01-10/(15)/2021

एकाधिक प्रधान,

संयुक्त राज्यव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नीचेव,

बोलीय भाष्यमिक, शिला पाठ्यपद,

शिक्षा केन्द्र-2 समाजव केन्द्र,

प्रीति विहार, नईपिल्ली।

शिला (7) अनुभाग

विषय :-

विषय पर्याप्ति सूची रजनीखण्ड-2, भारद्वाजगढ़, रायबरेली रोड, लखनऊ को दीक्षित
गठोदय, एकाधिक संघर्ष द्वारा अनुभाग पर्याप्ति प्रमाण ग्रन्थ दिया जायगा।

उपर्युक्त विषय की सोहा भाषा ध्यान आकृष्ट करते हुए यह छड़ने का नियम
हुआ में कि उक्त लोकप्रिय विषयात्मा वो सामाजिक विषयों नहीं हैं भी यथोच्चता के बोलने
प्रयाप्त पर्याप्ति दिये जाने में इन गम्भीर कारकों वो नियमित प्रोत्साहन के अधीन जापति रहते हैं:-

(1) विद्यालय की प्राधान्य सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण करना।

(2) विद्यालय की प्राधान्य समिति परिषद विद्यालय वार्षिक एक वार्त्त्य होना।

(3) विद्यालय में वाय से कम 10 प्रावशत रधान अनुमूलिक व्याति/जनगति के विवादों
विवादों के लिए सुरक्षित रहें और उन्हें उद्योगमाध्यमिक शिक्षा परिषद/विद्यालय
शिक्षा परिषद वार्षिक संस्थानित विद्यालयों ने विभिन्न विद्यालयों के लिए नियमित
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(4) संस्था घाराबाज़ गरजार रोड लखनऊ की ओर नहीं जाने वाली जीर्ण वाली
रुद्ध वे विद्यालय साम्यमिक शिक्षा परिषद वे सम्बन्ध वार्ष द्वारा विद्यालय की
राष्ट्रव्यवस्था रोट्रिल थोर्ड आप रोट्रिल एन्ड बैंक नहीं हैं तो वे विद्यालय की
इण्डियन स्कूल अन्ड इंडियन बैंक नहीं हैं से आप नहीं हैं तो वे
परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त करने को विद्या से उद्योगमाध्यमिक शिक्षा
परिषद यारा प्राप्त मान्यता तथा सम्बन्ध रखते हों परा अनुदान रखते हुए।

(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यालयों वा राजकीय संघर्ष विद्यालयों
विद्यालयों के कार्यालयों की अनुवान विद्यालयों तथा वार्ष भूजों में कुछ
विजेनमान तथा अन्य भूजों दिये जाना।

(Signature)

PRINCIPAL
AVADH PUBLIC SCHOOL
RAJNI KHAND-I, SHARDA NAGAR
LAE BARELI ROAD, LUCKNOW



(6) कर्मचारीगृहों की भवा शर्त बनानी जानमी के साथ हमें सरायता माल वसाया है।
लक्ष्मीनारायण का विद्यालय का कर्मचारण तथा अनुगम्य सत्रा नियन्त्रण का विध
उपलब्ध कराये जाएंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा सभ्यता-समवय पर जो भी आदेश निर्धारित किये जायेंगे मान्या
जायेंगा।

(8) विद्यालय का रिकार्ड नियांत्रित प्रयत्न विजिकाओं ने रखा जायेगा।

(9) ज्ञान दली में उच्च नियन्त्रण के द्वारा द्वारा दली के द्वारा कर्दै परिवर्तित/संशोधन
परिवर्तन नहीं भिजा जायेगा।

2- इन नियमों का पालन करना असर के लिए विविध दौषिण्य विभाग द्वारा दूषिण्य का
पाया जाता है। कृत सहभागी विषयों का पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि विषय के नियमों का पालन
करने में किसी प्रकार का घूर्फ़ या व्यावर्तन घटना जैसी हो जाये सरकार द्वारा उन्हें
अनुप्राप्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

11 अप्रैल,
(प्रिन्सिपल द्वारा)
समूक्षा स्थान।

प्र० संख्या एवं दिनांक मंदिर

प्रिन्सिपल नियांत्रित को राधानार्थ एवं आल्यपद कार्यकारी द्वेष प्रेषित।

1- विद्या नियेकार्फ़ (एप्र०), जूलाई १९८४, राधानार्थ।

2- मण्डलीय संकुल विद्या नियेकार्फ़, लक्ष्मीनारायण।

3- गिराविद्यालय नियेकार्फ़, राधानार्थ।

4- नियोक्तक, भाग्ल भास्तीय (विद्यालय नं० १००), लक्ष्मीनार्थ।

5- प्रबन्धक, अवध विद्यालय स्कूल रजनीकांड-२, आरवनगर, राधानार्थ। गंड, लक्ष्मीनार्थ।

6- गाँड़ छुक।

12 अप्रैल,
(प्रिन्सिपल द्वारा)
समूक्षा स्थान।

PRINCIPAL
AVADH PUBLIC SCHOOL
RAJNI KHAND-I, SHARDA NAGAR
IAE BARELI ROAD, LUCKNOW



12 अप्रैल
(प्रिन्सिपल द्वारा)

समूक्षा स्थान।

(प्रिन्सिपल द्वारा)